



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 21.04.2025

- ❖ जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।
- ❖ महिला सम्बन्धी अपराध में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु०अ०सं० 567/18 धारा 294/504/509 भा०द०वि० व धारा 67 आईटी एक्ट से संबंधित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, मु०नं० 76/2019 अ०सं० 567/18 धारा 294/504/509 भादवि० व धारा 67 आईटी एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित अभियुक्त प्रणव उर्फ अमृत पुत्र विगनराम निवासी शिवगंज लखनी, थाना राजापाकर (वर्तमान थाना बैराटी), जिला वैशाली (बिहार) के विरुद्ध माननीय न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा एनबीडब्ल्यू की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कल दिनांक 20.04.2025 को थाना बैराटी जिला वैशाली (बिहार) के सहयोग से वारण्टी/अभियुक्त प्रणव उर्फ अमृत पुत्र विगनराम उपरोक्त को शिवगंज लखनी, थाना राजापाकर (वर्तमान थाना बैराटी), जिला वैशाली (बिहार) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त /वारण्टी को माननीय न्यायालय जनपद कानपुर देहात के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/गुमशुदा का विवरण –

1. प्रणव उर्फ अमृत पुत्र विगनराम निवासी शिवगंज लखनी, थाना राजापाकर (वर्तमान थाना बैराटी), जिला वैशाली (बिहार), उम्र लगभग 20 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री सुखवीर सिंह, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।
2. हे०का० 182 सतेन्द्र कुमार, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।